



न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/2013-14 निगरानी R-248-2114

R: 17-12-13 अंतर्गत
महाराष्ट्र - कोल्हापूर - कोल्हापूर
द्वारा - कोल्हापूर - कोल्हापूर - कोल्हापूर

नारायणसिंह पिता श्री बापूलाल, आयु-50 वर्ष
जाति-सोंधिया, व्यवसाय-कृषि
निवासी-ग्राम मगीशपुर, तहसील सुसनेर,
जिला आगर (शाजापुर) म.प्र. —आवेदक

विरुद्ध

- 1- कानजी पिता पुराजी
- 2- लक्ष्मण पिता पुराजी
- 3- देवबाई विधवा पुराजी
- 4- मांगुबाई पुत्री पुराजी
- 5- धापुबाई पुत्री पुराजी

निवासीगण-ग्राम मगीशपुर, तहसील सुसनेर,
जिला आगर (शाजापुर) म.प्र. —अनावेदकगण

~~8-1-14~~

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुसनेर जिला आगर (शाजापुर)
द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24/06/2013 से
असंतुष्ट एवम् दुखित होकर अन्दर अवधि में यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

R-248-107/14 प्रकरण क्रमांक..... जिला..... रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.11.2016	<p>आवेदक की ओर से श्री कमल योजना अभिभाषक उपस्थित। श्राद्धेता पर (धुना गंगा) महा विगानी अवधि का पूरा प्रस्ताव है, और आवेदक के अभिभाषक द्वारा विवेक को समाधान कार्य नहीं बताया जा सका है। अतः यह विगानी प्रथम इच्छा अवधि वगैरह प्रस्ताव होने से अज्ञात की जाती है।</p>	<p>K. S. J. S.</p> <p>अध्यक्ष</p>